बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–30.06.2017 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी संबंधित विभागों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों के साथ संभावित बाढ़ एवं अल्प वर्षापात् की स्थिति में की जाने वाली पूर्व तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही : –

1. <u>उपस्थिति – संलग्न</u>

2. सर्वप्रथम प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, अन्य माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव, बिहार एवं अन्य सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

3. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा मौसम पूर्वानुमान के संबंध में अपना प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जून माह में मौनसून का synoptic features के shift होकर झारखंड राज्य में चले जाने के कारण बिहार राज्य में dry spell की स्थिति बनी है। परन्तु वर्त्तमान में इसके उत्तर बिहार की ओर shift करने के कारण अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बिहार राज्य में अच्छी वर्षा की संभावना है।

मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी वर्षापात के आकड़ों में प्रथम दृष्टया विसंगतियां परिलक्षित होती हैं। उदाहरण स्वरूप दिनांक–29.06.2017 को IMD के द्वारा जारी वर्षापात् आंकड़ों के अनुसार जहानाबाद जिला में जहां वर्षापात् औसत से 27 प्रतिशत अधिक दर्शाया गई हैं, वहीं पड़ोसी जिला अरवल में यह सामान्य से 80 प्रतिशत कम दर्शाया गया है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सुझाव दिया गया कि IMD को अपने आंकड़ो का ground toothing कराना चाहिए। उनके द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उन्हें भी केवल आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए बल्कि अपने क्षेत्रीय कर्मियों/पदाधिकारियों के द्वारा वर्षापात् के आंकड़ों का सत्यापन कराना चाहिए। उनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि वर्षापात् आंकड़ों की अच्छी गुणवता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रखंड में AWS (Automatic Weather Station) की स्थापना की जाए। भविष्य में इसे पंचायत स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न स्थानों पर 50 AWS की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 200 नये स्थानों पर भी AWS लगाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रखंडों में AWS की शीघ्र स्थापना की जाय।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा बताया गया कि IMD के वर्षापात् आकड़ों में विसंगतियां रहती हैं और वे Field Verification से अक्सर मेल नहीं खाते हैं। उनके द्वारा निदेश दिया गया कि IMD के आंकड़ों एवं जिलों से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षोपरांत वर्षापात् के

आंकड़ों को जारी किया जाय। यदि इस संबंध में कोई समस्या हो तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय केन्द्र से वार्ता कर उपाय निकाला जाय।

4. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस वर्ष संभावित बाढ़ के मद्देनजर विभाग/जिलों के द्वारा किये जा रहे बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में विस्तृत रूप से प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु जिलों को उपलब्ध कराये गये आवंटन, जिलों द्वारा राहत सामग्रियों के दर निर्धारण एवं आपूतिकर्त्ताओं के चयन हेतु किये जाने वाले निविदा की स्थिति, बाढ़ से निपटने हेतु जिलों में उपलब्ध संसाधन, बाढ़ के मद्देनजर एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 की Strategic pre-positioning, बाढ़ शरण स्थलों की पहचान एवं शरण स्थलों में बाढ़ पीड़ितों के लिए की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाएँ आदि प्रमुख हैं।

- **नावों का निबंधन** – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि निजी नावों के निबंधन कार्य के सुगम बनाने के उद्देश्य से नदी घाटों पर ही निबंधन शिविर आयोजित करने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया है। इसके आलोक में परिवहन विभाग द्वारा एक कार्य योजना बनायी गई है, जिसके अनुसार जुलाई 2017 के तृतीय सप्ताह तक नावों के निबंधन का लक्ष्य सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है।

  माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निदेश दिया गया कि मकर संकाति के अवसर पर गंगा नदी में हुए नाव दुर्घटना से सबक लेते हुए नाव दुघटनाओं के रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए। इनके द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि नाविकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण भी अत्यन्त आवश्यक है। नाविकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण/ उन्मुखीकरण हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मास्टर ट्रेनर तैयार करे। नदी घाटों पर नावों के निबंधन हेतु आयोजित किये जाने वाले निबंधन शिविरों के दौरान ही नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान नाविकों एवं नाव मालिकों को नाव दुर्घटनाओं के रोकथाम के उपायों के साथ–साथ नाव परिचालन में नियमों के अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध की जाने वाली कानूनी कार्रवाई/प्रावधानों की भी जानकारी दी जानी चाहिए।

- **राहत सामग्रियों का दर निर्धारण एवं आपूर्तिकत्ताओं का चयन** – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि हालांकि लगभग सभी जिलों द्वारा इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा चूकी है, परन्तु अबतक दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में ही दर निर्धारण/आपूर्तिकर्त्ता का चयन हो सका है। कई जिलों में पुर्ननिविदा की कार्रवाई भी की गई है, परन्तु अबतक दर निर्धारण नहीं हो सका है। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया कि निविदा निष्पादित नहीं होने का एक मुख्य कारण पूर्व वर्षो में आपूरित सामग्रियों का भुगतान लंबित रहना भी हो सकता है।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि यदि पूर्व वर्षो का भुगतान लंबित हो तो उसका तुरन्त भुगतान किया जाय। सभी जिला पदाधिकारी यदि Pro- Active होकर कार्य करें तो निविदा को सफल बनाया जा सकता है। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में प्रदत्त शक्ति का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। यदि सम्पूर्ण प्रयास करने के पश्चात् भी निविदा सफल नहीं हो, तो बगल के जिले में निर्धारित दर पर कार्य करना चाहिए। यदि बगल के जिले में भी दर का निर्धारण नहीं हुआ हो परन्तु प्रमंडल में किसी एक जिला में दर का निर्धारण हो चुका है तो प्रमंडलीय आयुक्त के अनुमोदन से उक्त जिले में निर्धारित दर के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जिले राहत सामग्रियों हेतु दर का निर्धारण 10 जुलाई 2017 तक निश्चित रूप से कर लें।

- **बाढ़ शरण स्थलों की पहचान एवं वहाँ की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाएँ** – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया कि जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में 3212 बाढ़ राहत शिविरों की पहचान की जा चुकी है। बाढ़ के समय इन शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, पुरूषों एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय, चिकित्सा दल आवश्यक दवाएँ, पर्याप्त रोशनी एवं साफ–सफाई की समूचित व्यवस्था की जानी है। अतः सभी जिला पदाधिकारी उनकी समीक्षा कर पूर्व तैयारी कर लें।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राहत शिविरों के प्रभारी पदाधिकारियों को एक निर्धारित सीमा तक खर्च करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि राहत शिविरों के संचालन में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न ना हो। यह भी निदेश दिया गया कि बड़े राहत शिविरों का प्रभारी पदाधिकारी किसी अनुभवी वरीय पदाधिकारी को बनाया जाय।

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निदेश दिया गया कि चिन्हित राहत शिविरों की व्यवस्था अभी से ही देख लेनी चाहिए। किस राहत शिविर में कितने लोगों के शरण लेने की संभावना हो सकती है, उसके अनुसार की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा कर उसकी पूर्व तैयारी कर लिया जाय। राहत शिविरों में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों एवं पुरूषों के न्यूनतम आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। शरण स्थलों पर आये शरणार्थियों के बीच से ही खाना बनाने, खाना परोसने एवं साफ–सफाई आदि कार्य हेतु Volunteer बनाया जाना चाहिए। इस कार्य हेतु प्रत्येक Volunteer को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर के अनुरूप भुगतान किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि गत वर्ष बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेने वाले बाढ़ पीड़ितों के लिए 600/– (छः सौ) रू0 की अधिसीमा के अंतर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष से वस्त्र, खाने के लिए वर्त्तन, साबुन, तेल, कंघी आदि उपलब्ध कराये गये थे। यदि आवश्यकता हो तो, समीक्षोपरान्त इस अधिसीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

- **जिला टॉस्क फोर्स का गठन** – मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलों में अबतक जिला टॉस्क फोर्स का गठन नहीं किया गया है, वहाँ अविलम्ब इसका गठन कर लिया जाय।
- **जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों की स्थापना** – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि बाढ़ के दौरान सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान एवं Quick Response के उद्देश्य से जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों का 24 X 7 के पैर्टन पर संचालन आवश्यक है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों को सालों भर क्रियाशील बनाया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि यथा संभव जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों का संचालन समाहरणालय परिसर में ही कराया जाय।

- **बाढ़ से निपटने हेतु जिलों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा** – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों में उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत जानकारी दी गई।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया कि पर्याप्त संख्या में नाव उपलब्ध नहीं रहने पर एक जिला से दूसरे जिला में नाव भेजना पड़ता है, जिसके कारण जहां एक ओर नाव क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर नावों के परिवहन आदि पर अनावश्यक रूप से राशि का भी व्यय होता है। उनके द्वारा निदेश दिया गया कि सभी बाढ़ प्रवण जिले पर्याप्त संख्या में सरकारी नाव की उपलब्धतता सुनिश्चित रखे। पर्याप्त संख्या में निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा भी कर लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर निजी नावों का भी उपयोग किया जा सके। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पॉलीथीन शीट्स की भी उपलब्धतता सुनिश्चित रखने का निदेश दिया गया।

मुख्य सचिव द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि बाढ़ के समय आवश्यकता पड़ने पर एक जिला से दूसरे जिला में सरकारी नाव भेजने की स्थिति में प्राप्त करने वाला जिला अपने भंडार पंजी में इसका इंद्राज (Entry) कर लें एवं भेजने वाला जिला अपने भंडार पंजी से उसे विलोपित (Write off) कर दें।

5. मानव दवा, हैलोजन टैबलेट, ब्लीचिंग पावडर आदि की व्यवस्था – प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर सभी जिलों में आवश्यक दवाओं यथाः दस्त रोधी दवाएँ, सर्प दंश की दवा, कुत्ता काटने की दवा, ORS, हैलोजन टेबलेट एवं ब्लीचिंग पावडर सुनिश्चित मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त कीट जनित बिमारीयों को रोकने हेतु पर्याप्त मात्रा में DDT/ मेल्याथ्योन/सिनथेटिक पाईराथोरोईद/टेमेफॉस की व्यवस्था प्रत्येक जिले में की गई है। बाढ़ के दौरान गर्भवती महिलाओं एवं कमजोर नवजात शिशु के नियमित टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले में चलन्त चिकित्सा दलों का गठन किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलन्त नौका एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कैमूर जिला में ORS की उपलब्धतता शून्य दर्शायी गई है। इसी प्रकार गया, कैमूर, सहरसा एवं शिवहर जिलों में जिंक टैबलेट तथा दरभंगा, गया, नवादा, शिवहर एवं सुपौल जिलों में हैलोजन टैबलेट की उपलब्धतता शून्य दर्शायी गयी है। पृच्छा करने पर संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनके आपूर्ति हेतु निविदा की जा चूकी है एवं शीघ्र ही आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जिलों में बाढ़ के मद्देनजर आवश्यक दवाओं की उपलब्धतता एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय एवं इन्हें आवश्यकतानुसार प्रखंडों में यथाशीघ्र आवंटित कर दिया जाय। चर्म रोग के दवा की भी व्यवस्था सभी जिलों में किया जाय। मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इन दवाओं का भौतिक सत्यापन भी करा लें।

6. पशु चारा एवं पशु दवाओं की व्यवस्था – सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर सभी जिलों को पशु दवा क्रय हेतु विभाग द्वारा राशि आवंटित किया जा चुका है, जिसके आलोक में जिलों द्वारा आवश्यक पशु दवाओं का क्रय किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि राज्य में विभिन्न जिलों में कुल 1418 पशु राहत शिविरों को चिन्हित किया गया है, जहां पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधित आदेश भी निर्गत किया जा चुका है। उनके द्वारा बताया गया कि पशुचारा के निमित जिलों द्वारा निविदा किया गया है, परन्तु अभी तक मात्र पटना जिला में ही पशुचारा दर का निर्धारण हो चुका है।

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सभी जिलों में पशु दवा की उपलब्धतता एक सामान नहीं है, किसी जिलें में 32 प्रकार की दवा उपलब्ध हैं तो किसी जिले में मात्र 5 प्रकार की दवा उपलब्ध हैं। पृच्छा करने पर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि जिलों में सभी प्रकार के आवश्यक दवाओं के दर निर्धारण में आ रही समस्या को देखते हुए विभाग के द्वारा निदेशक, पशु एवं मत्स्य निदेशालय को निदेश दिया गया है कि सभी प्रकार की आवश्यक दवाओं का दर निर्धारण मुख्यालय स्तर पर कर के जिलों को सूचित किया जाय। इसके आधार पर जिलों में दवाओं का क्रय किया जाएगा।

समीक्षा के क्रम में पटना जिला में पशु चारा का निर्धारित दर (650 रूपया) एवं बेगूसराय जिलें में पशुचारा का निर्धारित दर (1100 रूपया) में काफी भिन्नता पायी गई।

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दर निर्धारण में पायी गयी भिन्नता के आलोक में पुनः अगले सप्ताह में मुख्य सचिव को समीक्षा करने का निदेश दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि पशु टीकाकरण, पशु दवा एवं पशु चारा का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के स्तर से micro level पर अनुश्रवण होना चाहिए। इन कार्यो को करने का दायित्व जिलों में पदास्थापित विभागीय पदाधिकारियों का है। स्थानीय स्तर पर समस्या अथवा कठिनाई उत्पन्न होने पर संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी से सहायता लिया जा सकता है।

समीक्षा के क्रम में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में अधिकारियों की कमी के मद्देनजर ***माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग संयुक्त***

सचिव स्तर के एक पदाधिकारी को यथाशीघ्र पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में पदस्थापित करें।

7. **तटबंधों की सुरक्षा** – प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया बाढ़ से सुरक्षा हेतु मौनसून अवधि के पूर्व ही कुल 310 कटाव निरोधक कार्य के साथ ही तटबंधों के अति आक्रामय स्थलों पर पानी के दबाव को कम करने के उद्देश्य से River Training Works भी किया गया है। Flood fighting कार्य हेतु कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की प्रतिनियुक्ति क्षेत्रवार कर दी गई है एवं Flood fighting SOP के अनुसार कार्य करने हेतु उन्हें निदेशित किया गया है। सभी संवेदनशील स्थानों पर Flood fighting सामग्रियों का भंडार कर लिया गया है। इस वर्ष से Flood fighting कार्य के दौरान मजदूरों के रात्रि में रूकने की भी व्यवस्था की जा रही है। तटबंधों की round the clock निगरानी/गश्ती की व्यवस्था की गई है। गश्ती कार्य को सुदृढ करने हेतु प्रत्येक किलोमीटर पर गृहरक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। अतिआक्रामय स्थलों पर Hydraulic excavator/Hydraulic Crane/Dredger की व्यवस्था की गई है।

8. **सड़कों की मरम्मति** – सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग के स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है एवं बाढ़ के दौरान सड़कों पर सतत गश्ती की व्यवस्था की जाएगी। विभाग के पास पर्याप्त संसाधन एवं manpower उपलब्ध हैं। Road Newtwork को हर परिस्थिति में बहाल रखा जाएगा।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा गत वर्ष बाढ़ के दौरान नवगछिया शहर में पानी प्रवेश कर जाने एवं लम्बी अवधि तक जमा रहने के संबंध में बताया गया कि NH - 31 पर दो कलभर्ट से पानी पास कर नवगछिया शहर में पहुंच गया था। सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे तुरन्त इस समस्या का निदान निकालेगें।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि पिछले वर्षो के अनुभवों को देखते हुए पूर्व तैयारी कर ली जाय। जैसे ही किसी सड़क के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हो, तुरन्त restore कर दिया जाय।

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निदेश दिया गया कि बाढ़ के कारण यदि किसी विभाग का सड़क अथवा पुल–पुलिया क्षतिग्रस्त होता है, तो उसके restoration की जिम्मेदारी उसी विभाग को होगी। साथ ही बाढ़ अवधि में जिन क्षतिगस्त सड़कों का restoration कार्य किया जाता है, उनके strengthening का कार्य अगले बरसात के पहले ही कर लेना चाहिए।

9. **आकस्मिक फसल योजना** – प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि बाढ़ अथवा अल्प वर्षापात की स्थिति उत्पन्न होने पर विभाग द्वारा आकस्मिक फसल योजना (माहवार) का सूत्रण कर सभी जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है एवं स्थिति के अनुसार कार्य करने का निदेश दिया गया है। किसानों को डीजल अनुदान वितरण हेतु विभाग द्वारा सभी जिलों को रशि का आवंटन किया जा चुका है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि –

- सभी जिला पदाधिकारी कृषि विभाग से प्राप्त डीजल अनुदान की राशि का उपावंटन प्रखंडों में यथाशीघ्र कर दें।
- यदि विचड़ा लगाने अथवा बचाने में किसान द्वारा डीजल का उपयोग किया गया है तो उसे डीजल अनुदान उपलब्ध कराना है, साथ ही समुचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से डीजल अनुदान से संबंधित आवेदन पत्र generate कराया जाय।
- मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि किसानों का database तुरन्त update करा लिया जाय ताकि बाढ़ अथवा सुखाड़ की स्थिति में सहायता प्रदान करने में विलम्ब न हो। किसानों के database में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित रहे कि किस किसान द्वारा कितने क्षेत्र में कौन सा फसल लगाया गया है।

10. **विविध** –

I. कटिहार / भागलपुर / मधुबनी / वैशाली / सीतामढ़ी / गोपालगंज जिले में अपर समाहर्त्ता का पद रिक्त है, जबकि भागलपुर, शेखपुरा, लखीसराय, गोपालगंज, वैशाली जिलों में अंचलाधिकारियों का पद रिक्त है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उपरोक्त जिलों में अपर समाहर्त्ताओं/अंचलाधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाय।

II. जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता मूलरूप से पूर्णियाँ में पदस्थापित हैं एवं अररिया के भी प्रभार में भी है, जिसके कारण कार्यो के त्वरित निष्पादन में समस्या उत्पन्न होती है।

मुख्य सचिव द्वारा जल संसाधन विभाग को इसकी समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

III. जिला पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा ''लौचा पुल'' (टेढ़ागाछी) एवं ''पत्थरगट्ठी'' में तीन क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मति शीघ्र करने का अनुरोध किया गया हैं। साथ ही जिले में खराब पड़े state tubewell की मरम्मति में हो रही परेशानी के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया गया।

मुख्य सचिव द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को निदेश दिया गया है कि ''लौचा पुल (टेढ़ागाछी) एवं पत्थरगट्ठी'' में क्षतिग्रस्त पुलों को शीघ्र मरम्मति करा लिया जाय। लघु जल संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि state tubewell को त्रुटी रहित करने के पश्चात् ही समितियों को दिया जाय।

कृषि महाविद्यालय किशनगंज, AMU किशनगंज एवं पुलिस लाईन किशनगंज के सुरक्षात्मक कार्य के संबंध में जिला पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा ध्यान आकृष्ट करने पर मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इन कार्यो हेतु भूमि अधिग्रहण पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि जल संसाधन विभाग उपलब्ध करा दे।

IV. जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा बताया गया कि ''रानीदियारा'' में लोग तटबंध के अन्दर बसे हुए हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा वहाँ कटाव निरोधक कार्य करने

में असमर्थता जताई जा रही है। अतः नदी तटबंध के अन्दर बसे लोगों को पुनर्वासित करने की आवश्यकता है।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

V. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा बताया गया कि चौसा में रामचन्दा मुरसुन्डा नदी पर क्षतिग्रस्त पुल एवं चौसा मुरसुन्डा क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मति आवश्यक है।

मुख्य सचिव द्वारा संबंधित पुल एवं सड़क की यथा शीघ्र मरम्मति करा लेने का आदेश ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया।

VI. जिला पदाधिकारी, बांका के द्वारा बताया गया कि ब्रेडा के द्वारा लगाया गया सोलर पम्प काफी अच्छा कार्य कर रहा है। अतः सोलर पम्पों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।

मुख्य सचिव द्वारा ऊर्जा विभाग को इसकी समीक्षा कर सभी जिलों को guideline भेजने का निदेश दिया गया।

VII. जिला पदाधिकारी, लखीसराय के द्वारा बताया गया कि दरियापुर एवं लक्ष्मीपुर में सड़क क्षतिग्रस्त है। पीपराहा रामचन्द्रपुर में हरोहर नदी लगातार कटाव कर रही है।

पीपराहा रामचन्द्रपुर में हरोहर नदी कटाव के संबंध में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा इस संबंध में बताया गया कि यह योजना विभाग द्वारा स्वीकृत है। कार्य कराया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि बाढ़ के दौरान क्षतिगस्त हुए सड़कों की मरम्मति हेतु संबंधित विभाग शीघ्र राशि उपलब्ध करा दे।

VIII. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा अनुरोध किया गया कि पशु शिविर के संचालन के संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए। महनार–मोहिउद्दीननगर–बछवाड़ा पथ की मरम्मति आवश्यक है। तटबंधों के प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों के लिए टार्च एवं बैट्री की व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी, यह स्पष्ट नहीं है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग पशु शिविर संचालन के संबंध में एक विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत करे। पथ निर्माण विभाग के द्वारा महनार–मोहिउद्दीननगर– बछवाड़ा पथ की शीघ्र मरम्मति कराया जाय। गृह रक्षकों को बैट्री एवं टार्च की व्यवस्था जल संसाधन विभाग द्वारा की जाएगी। जल संसाधन विभाग इस संबंध में अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को एक स्पष्ट निदेश जारी करे।

IX. जिला पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि रक्सौल जाने हेतु बांध से होते हुए एक वैकल्पिक सड़क बनाया जाना है, परन्तु इसका निर्माण किस विभाग द्वारा कराया जायेगा, यह स्पष्ट नहीं है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि इस सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना श्रेयष्कर होगा।

X. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि सकरा एवं कांटी प्रखंड तथा कांटी नगर पंचायत में भू–जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण पेयजल की समस्या है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एक टीम भेजकर इसकी जांच करा लें।

XI. जिला पदाधिकारी, कैमूर के द्वारा बताया गया कि जिले में विशेषकर अधौरा प्रखंड में भू–जल का स्तर काफी नीचे चले जाने कारण पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

*माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि समस्या का समाधान **Rainwater Harvesting System** के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए स्थल का चयन कर **Natural Reservoir** बनाना होगा। जो **Natural Reservoir** पूर्व से बने हुए हैं, उन्हें **rejuvenate** करने की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी इस कार्य हेतु लोगों को जागरूक करें और सहयोग लें।*

XII. मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

XIII. *माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जल संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि पटना शहर में गंगा नदी के किनारे बने **Protection wall** (गोलघर से दानापुर की ओर) यथाशीघ्र जांच/निरीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार मरम्मति कार्य करा लिया जाय।*

XIV. *माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को निदेश दिया गया कि पटना जिला में स्थित जमींदारी बांधों की स्थिति के संबंध में सभी संबंधित अंचलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।*

XV. *चापाकलों की मरम्मति – माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग को निदेश दिया गया कि विशेष शाखा से प्राप्त प्रखंडवार/ग्रामवार खराब चापाकलों से संबंधित रिपोर्ट को आधार मानते हुए खराब चापाकलों की तुरन्त मरम्मति कराया जाय। पुनः सत्यापन के पश्चात् प्रतिकुल रिपोर्ट प्राप्त होने पर जबावदेही का निर्धारण करते हुए दोषी के विरूद्ध कार्रवाई किया जाए।*

XVI. *वज्रपात – माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विगत वर्षो में राज्य में वज्रपात से जानमाल की हुई क्षति पर चिंता व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई कि विगत वर्षो में वज्रपात की बढ़ती तीव्रता के संबंध में एक अध्ययन किया जाना चाहिए तथा वज्रपात के संबंध में पूर्वानुमान लगाने की यदि कोई प्रणाली विकसित की गई है तो उसका प्रयोग बिहार राज्य में भी किया जाना चाहिए।*

इस संबंध में माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जानकारी दी गई Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune के द्वारा वज्रपात के पूर्वानुमान से संबंधित एक परियोजना शीघ्र ही राज्य में प्रारम्भ किया जायेगा, जिसके

तहत् राज्य में तीन स्थानों पर AWS (Automatic Weather Station) लगाने की योजना है।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया कि आन्ध्रप्रदेश एवं उड़ीसा में वज्रपात के पूर्वानुमान से संबंधित प्रणाली/तकनीक का प्रयोग करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। इन राज्यों से समन्वय स्थापित कर राज्य में भी शीघ्र ही ऐसी प्रणाली स्थापित करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

अंत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तैयारियों के संबंध में निम्नांकित निदेश भी दिया गया –

1. वर्षा की स्थिति को देखते हुए बाढ़ के साथ–साथ सुखाड़ की भी तैयारी पूरी मुस्तैदी के साथ किया जाय।
2. कृषि विभाग स्थिति की लगातार अनुश्रवण करे। डीजल अनुदान वितरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ किया जाय।
3. यह सुनिश्चित किया जाय कि –
   - खेतों में सिंचाई हेतु नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंचे।
   - आकस्मिक फसल योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे।
   - सभी ट्युबबेल कार्यरत रहें। सरकारी ट्युबबेल ऑपरेटर की कमी रहने की स्थिति में दैनिक मजदूरी पर रखा जा सकता है।
   - **बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो।**
4. **जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव अगले एक सप्ताह के अन्दर संबंधित जिले में जाकर आज हुई बैठक के आलोक में समीक्षा कर लें तथा सभी तैयारियाँ ससमय सुनिश्चित करायें।**

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(अनिरूद्ध कुमार)
अपर सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक ...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/ सचिव, कृषि विभाग /गृह विभाग /जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग /राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ उर्जा विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग/ सहकारिता विभाग/समाज कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/ परिवहन विभाग/ वित्त विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ अध्यक्ष, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम/ निदेशक भारतीय मौसम विज्ञान, फुलवारी शरीफ, पटना/कार्यपालक अभियंता, मिडिल गंगा डिवीजन - 5, केन्द्रीय जल आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक 1994 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 11/7/17

प्रतिलिपि:– सभी जिलों को प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव /पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक, (नागरिक सुरक्षा)/ पुलिस महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी/उपाध्यक्ष/सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0, बिहटा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव